फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

शैलेन्द्र बनाम **महावीर**

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 820 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
04.09.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.10.2020 को पेश हो।	
16/10/20	पत्रावली पेश [illegible] मण्डल के परिपत्र दिनांक 21.9.2020 के दिशा निर्देशन अनुसार पत्रावली दिनांक .....को पेश हो। 29.3.21	
22/2/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं पुनः रजिस्टर सम्मन पेश व पत्रावली दि 9/3/21 को पेश हो~~	
9/3/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तामीली हेतु आवश्यक लागत से रजिस्टर सम्मन पेश व पत्रावली दि 12/4/21 को पेश हो~~	
12/4/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तामीली हेतु आवश्यक लागत से रजिस्टर सम्मन पेश व पत्रावली दि 10/6/21 को पेश हो~~	
10.6.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ~~[illegible]~~ पत्रावली दि0 ....को पेश हो। 18.8.21	
18/8/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तामीली हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किया आवश्यक लागत से रजिस्टर सम्मन पेश व पत्रावली दि 20/11/21 को पेश हो~~ पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प .....अरड़की (12.12.21) को पेश हो।	
12/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई वकील वादी ने निवेदन किया कि वह मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते व खारिज फरमावें। वादी स्वयं व दावा मय वाद नहीं चलाने व खारिज किया गया की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहते

Scanned with CamScanner